मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20, नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

पीठासीन अधिकारी :– स्वाति गुप्ता आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :– 282/2020

1. हरजीत सिह पुत्र खजानसिह जाति रायसिख निवासी सूरेवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

-- वादी

बनाम

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी।

-- प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा :–88 आर.टी.ए.घोषणा

निर्णय दिनांक :– 31.5.2024

वादी की ओर से श्री सुभाषचन्द्र गर्ग अधिवक्ता की व पैरोकार राज की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 31.5.2024 को स्वाति गुप्ता उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि चक 10 एन.जी.सी. के खाता संख्या 76/73 में अंकित वादी के नाम रणजीतसिह को दुरूस्त कर, रणजीत सिह के स्थान पर हरजीतसिह नाम अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

Signature Not Verified

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। यह [illegible] को [illegible] दिनांक 31.5.24 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा [illegible]

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.08.02 11:02:24 IST
Reason: SelfAttested

मुहर

(स्वाति गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी

Scanned with CamScanner